

कार्य  
.....2015..... वर्ष के लिए अथवा सम्पत्ति विवरण (as on 01-01-2016)

- 1. अधिकारी का नाम .....PANVEER SAINI....., o/o the PCDAWC Chandigarh  
(पूरा नाम व सेवा जिससे अधिकारी संबंधित है।)
- 2. वर्तमान पद .....Dy. CDA..... वर्तमान वेतन .....18950 + 6600/-.....

1. उस जिले, उप-खण्ड, तालुका और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित है।	2. आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि की सम्पत्ति का नाम व पूरा खीरा।	3. वर्तमान मूल्य	4. यदि अपने स्वयं के नाम में नहीं है तो बतायें कि किसके नाम से है तथा उससे सटकाई कर्मचारी का क्या सम्बन्ध है ?	5. सम्पत्ति कैसे अर्जित की ? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई। तारीख जिससे अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	6. सम्पत्ति से वार्षिक आय	7. अभ्युक्ति का

NIL

दिनांक 15.01.16  
(जो अंश खत्म न हो काट दें।)

हस्ताक्षर.....  
 पूरा नाम.....PANVEER SAINI  
 पदनाम/सेडा.....Dy. CDA.....  
 रोड/लेखा संख्या.....  
 कार्यालय का नाम.....o/o the PCDAWC  
 Chandigarh

(2.) किन मामलों में सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण सम्भव नहीं हो सकता है तो वर्तमान स्थितियों के हवाले से मूल्य बतायें।  
 टिप्पणी : वित्त मंत्रालय के 17.09.56 के का.प्र.सं. (165)/ई-1/56 के अनुसार इस घोषणा पत्र को सेवा के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति का खीरा चाहे अपने नाम में हो अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा उसके द्वारा पट्टे पर अथवा बंधक ली गई अपनी प्रकृत नियुक्ति के समय भर कर देना अनिवार्य है और उसके पश्चात हर वर्ष देना होगा।